

कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(आरजीएचएस)

डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

फोन:- 0141-2744570

email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.1 (240)/आरजीएचएस/2021 /

दिनांक:

परिपत्र 1

विषय:- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पंजीयन के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के बजट भाषण 2021 के बिन्दु संख्या 244, "Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की मैं, घोषणा करता हूँ।", की अनुपालना में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण का आरम्भ दिनांक 01.07.2021 से कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में माननीय मंत्रीगण, माननीय भूतपूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, अखिल भारतीय और न्यायिक सेवा के अधिकारी, 01.01.2004 के पूर्व और पश्चात नियुक्त सेवारत कार्मिक एवं 01.01.2004 के पूर्व नियुक्त और अब सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए पूर्व के चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी रूल्स एवं रेगुलेशन्स अब आरजीएचएस में निहित कर दिये गये हैं, अतः आरजीएचएस वेबपोर्टल पर पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है।

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त/बीमा/2020 पार्ट-II जयपुर दिनांक 07.07.2021 में आरजीएचएस की कटौती राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 और इसके समान पे-मेट्रिक्स में वेतन पर निम्नलिखितानुसार सारिणी-1 में निर्धारित की गयी है:-

सारिणी - 1

क्र. सं.	राज्य कार्मिक की श्रेणी	01.01.2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)
1	2	3	4
1	कार्मिक जो पे-मेट्रिक्स में ₹ 18000/- तक वेतन आहरित कर रहे हैं।	265.00	135.00
2	कार्मिक जो पे-मेट्रिक्स में ₹ 18000/- से 33500/- वेतन आहरित कर रहे हैं।	440.00	220.00
3	कार्मिक जो पे-मेट्रिक्स में ₹ 33500/- से 54500/- वेतन आहरित कर रहे हैं।	658.00	330.00
4	कार्मिक जो पे-मेट्रिक्स में ₹ 54500/- से अधिक वेतन आहरित कर रहे हैं।	875.00	440.00

21/7

1. 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती:-

दिनांक 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों को चिकित्सा व्यय के लाभ पूर्व में राजमेडिकलेम पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे हैं। वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त/बीमा/2020 पार्ट-॥ जयपुर दिनांक 07.07.2021 में ही इन कार्मिकों को आरजीएचएस में अंशदान या राजमेडिकलेम का विकल्प दिया गया है।

वे कार्मिक जो राजमेडिकलेम को चुनते हैं उनके लिए बीमाधन पूर्व की भांति ₹ 3.00 लाख रहेगा और चिकित्सा सुविधा कैशलेस प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि कार्मिक द्वारा आरजीएचएस अथवा राजमेडिकलेम दोनों में से किसी भी योजना को चुनने पर आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कार्मिक को इसके लिए इस परिपत्र के संलग्न विकल्प पत्र अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

वे कार्मिक जो आरजीएचएस अंशदान का विकल्प पत्र भरकर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को देंगे उनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी-1 के कॉलम 4 के आधार पर बजट मद 8342-00-120-(69) में की जावेगी व इन कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत ₹ 5 लाख कैशलेस इनडोर/डे-केयर (₹ 20,000/- तक ओपीडी) एवं अतिरिक्त ₹ 5 लाख गम्भीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय होगी।

2. अखिल भारतीय व न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरजीएचएस अंशदान की कटौती:-

अखिल भारतीय सेवा व न्यायिक सेवा के अधिकारीगण पर राजस्थान सिविल सेवा (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 2013 चिकित्सा नियम लागू हैं और इनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी-1 के कॉलम 3 के अनुसार बजट मद 8342-00-120-(69) में की जावेगी।

3. 01.01.2004 के बाद नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरजीएचएस अंशदान:-

ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 या उसके बाद हुई थी और अब सेवानिवृत्त हो गये हैं, उन्हें मासिक आधार पर अंशदान या जीवन पर्यन्त आरजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष के बराबर एकमुश्त अंशदान निम्न सारिणी-॥ के अनुसार बजट मद 8342-00-120-(69) में करना होगा:-

सारिणी-॥

क्र.सं.	सेवानिवृत्त कार्मिक को वेतन पे-मेट्रिक्स (01.01.2004 या उसके पश्चात नियुक्त)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए एकमुश्त अंशदान (₹)
1	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मेट्रिक्स में ₹ 18000/- तक वेतन आहरण	135.00	135 × 120 = 16200
2	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मेट्रिक्स में ₹ 18000/- से 33500/- वेतन आहरण	220.00	220 × 120 = 26400
3	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मेट्रिक्स में ₹ 33500/- से 54500/- वेतन आहरण	330.00	330 × 120 = 39600
4	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मेट्रिक्स में ₹ 54500/- से अधिक वेतन आहरण	440.00	440 × 120 = 52800



(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक (RGHS)

वित्त भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ.1 (240) / आरजीएचएस / 2021 / 480-84 /

दिनांक: 14.07.2021

प्रतिलिपि:

- (1.) निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर
- (2.) अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग सम्भाग एवं जिला कार्यालय
- (3.) समस्त विभागाध्यक्ष
- (4.) समस्त कोषाधिकारी
- (5.) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
- (6.) रक्षित पत्रावली।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)
वित्त भवन, जयपुर



GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Office of the Project Director, State Insurance & P.F. Department
(Rajasthan Government Health Scheme)

2nd Floor, D-Block, Vitta Bhawa, Janpath, Jaipur

email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in Phone: 0141-2740219 website: <https://www.rghs.rajasthan.gov.in>

OPTION FORM FOR OPTING RGHS

I,.....(Name).....(Post and Office),
hereby declare that I opt to avail medical facilities under RGHS of Govt. of Rajasthan.

I, authorize monthly pay bill deduction for RGHS (Fund) as per prescribed pay slab rate by State Government from time to time

I understand that once above option is exercised, I shall not be entitled for reimbursement of expenses incurred by me on medical attendance and treatment of myself and my family members under RCS (MA) Rules, 2013; RPFM and other group mediclaim policies issued by SIPF department.

Signature of the Government Servant

Name of the employee :

Employee Id

Designation.....

Department.....

14/7/2021